



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX, WB & SIKKIM
आयकर भवन, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता-700069

Aayakar Bhawan, P- 7, Chowringhee Square, Kolkata - 700 069
टेलीफोन नंबर/ Tel. No. : (033) 2213 6150 फैक्स/ Fax: (033) 2213 6989
ईमेल आईडी/ e-mail id : kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.gov.in

फा.स. PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/75(Part-I)/Prom(ITI-ITO)/2025-26

Date: 31.10.2025

ORDER No.: 163 of 2025-26

Part- I: Regular Promotion

निम्नलिखित आयकर निरीक्षक को 01.11.2025 अथवा स्वस्थाने आधार पर ऐसी पदोन्नति पर उनके कार्यग्रहण करने की तिथि में, जो भी बाद में हो, से वेतन स्तर 8 (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड रु.9300 - 34800/- ग्रेड वेतन रु.4800/- के साथ) में नियमित आधार पर आयकर अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी जाती है / The following **Inspectors of Income Tax** are hereby appointed on promotion as **Income-tax Officer** in the Pay Level 8 (Pre-revised Pay Band Rs.9300 – 34800/- with Grade Pay Rs.4800/-) on **regular basis** for the V.Y 2025, with effect from 01.11.2025 or the date of their joining on such promotion on **in-situ** basis, whichever is later.

क्र.सं./ SI No	नाम (श्री) / Name (Shri.)	Employee ID
1.	SAPTARSHI SARKAR	177341
2.	SUMANGAL KUMAR	161528
3.	UJJAL MALAKAR	179579
4.	NILOY RANJAN DAS	139964

उपर्युक्त अधिकारियों से अनुरोध है कि वे कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/2017-स्था.(वेतन-I) दिनांक 27.07.2017 के पैरा-3 के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के मामले में पदोन्नति की तारीख से 1 (एक) माह के भीतर अपना विकल्प चुनें / The above Officers are hereby asked to exercise their option within 1 (one) month of the date of promotion in the matter of fixation of pay on such promotion in terms of Para-3 of the Ministry of Personnel, Public Grievances Pension (Deptt. Of Personnel & Training) Office Memorandum No. 13/2/2017-Estt.(Pay-I) dated 27.07.2017.

Part-II:

(a) उपरोक्त नियमित पदोन्नति की निरंतरता किसी भी न्यायालय के किसी अन्य आदेश/न्यायिक घोषणा या इस संबंध में कें.प्र.क.बो/ का. एवं प्र.वि. /मा.सं.वि. द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन है। / The continuation of above regular promotion is further subject to any other order/ judicial pronouncement of any court or instructions/ guidelines issued by CBDT/DoPT/HRD in this regard.



(b) संबंधित व्यक्ति कृपया ध्यान दें कि पदोन्नति से इंकार करने की स्थिति में, उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997 के साथ पठित का. ज्ञा. सं. . 22011/5/86-Estt.(D), दिनांक 10.04.1989 के अनुसार उक्त पदोन्नति से इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगली रिक्ति होने तक, जो भी बाद में हो, पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। / The persons concerned may please note that in the event of their

refusing promotion, they would be debarred from promotion for a period of one year from the date of refusal of said promotion or till the next vacancy arises, whichever is later, as per the D.O.P&T's O.M No. 22011/5/86-Estt.(D), dated 10.04.1989 read with O.M. No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.1997.

- (c) इस आदेश के भाग-I में आयकर अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता यथासमय अलग से अधिसूचित की जाएगी।/ The *inter se seniority* of the persons appearing in Part I of this order, in the grade of Income Tax Officer will be notified separately in due course.

Part-III:

इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 07.11.2025 तक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के कार्यालय तक भेजी जानी है।/ A compliance report in this regard should reach the Office of the Pr. CCIT, WB & Sikkim by 07.11.2025.

Sd/-

(ए के सिंह, भा.रा.से. / A. K. Singh, I.R.S.)

आयकर आयुक्त (प्रशा. व कर दाता सेवाएं), कोलकाता

Commissioner of Income Tax (Admn. & Tax Payer Services), Kolkata

मेमो संख्या/ M.No PCCIT/WBS/Admn/DC/Est(Gz)/75(Part-I)/Prom(ITI-ITO)/2025-26/13695-13844

Date: 31.10.2025

सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिए प्रतिलिपि/ Copy for information and necessary action to:

1. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी मु.आ.आ./ आ.महा.नि./ All CCsIT/ DGIT in W. B. region.
2. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी प्र.आ.आ./ प्र.आ.नि./All PCsIT/ PDIT in W. B. region.
3. प.बं व सिक्किम क्षेत्र के सभी आ.आ./ आ.नि./ आ.अ.म.नि./ All CsIT/ DsIT/ ADG in W. B. region.
4. संबंधित अधिकारी / The Officers concerned.
5. लेखा अधिकारी, क्षेलेका, केंद्रकबो, कोलकाता / The Accounts Officer ; ZAO, CBDT, Kolkata.
6. सहायक निदेशक(रा.भा.)-1, कोलकाता(हिन्दी अनुवाद हेतु) / The AD(OL)-1, Kolkata (for Hindi version).
7. सचिव, भारासे संगठकन, पश्चिम बंगाल चैप्टर / The Secretary, IRS Association, West Bengal Chapter.
8. सचिव, आ.रा.अ.सं., पश्चिम बंगाल इकाई / The Secretary, ITGOA, West Bengal Unit.
9. सचिव आई.टी.ई.एफ सर्कल/ The Secretary, ITEF, Bengal Circle.
10. सचिव, अखिल भारतीय अधि.जा/जन जा. कार्मिक कल्याण संगठन, पश्चिम बंगाल इकाई / The Secretary, All India Income-tax SC & ST Employees' Welfare Association, W. B. Unit.
11. राजपत्रित स्थापना अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ Gazetted Confidential Section for uploading order in departmental website : www.incometaxkolkata.gov.in
12. गार्ड फाईल/ Guard File.



(आशुतोष कुमार साहू भा.रा.से. / ASHUTOSH KUMAR SAHU I.R.S.)

आयकर उपायुक्त, मुख्या. (प्रशा. व सतर्कता), कोलकाता

DCIT, Hqrs.(Admn. & Vigilance), Kolkata